REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232149 CG-DL-E-27122021-232149

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5012] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2021/पौष 6, 1943 No. 5012] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2021/PAUSA 6, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5405(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अधिक्रमण में, उन कामों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से कर लिया गया है या करने से छोड़ दिया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनाइल एसीटेट मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश,
2021 है।

- (2) यह आदेश 30 मई, 2022 को प्रवृत्त होगा।
- (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

2

2. मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी – उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति – कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

5. **भारतीय मानकों में संशोधन के प्रभाव की तिथि** - यह आदेश भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तारीख से उक्त तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट भारतीय मानक में किए गए किसी भी संशोधन पर लागू होगा।

सारणी

| माल या वस्तुएं | भारतीय मानक | भारतीय मानक के लिए नाम |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| विनाइल एसीटेट मोनोमर | आईएस 12345:1988 | विनाइल एसीटेट मोनोमर के लिए विनिर्देश |

[फा. सं. 46016/6/2020-टेक.सीपीसी -भाग.1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 2021

S.O. 5405(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Order, 2020, except and respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application. — (1) This Order may be called the Vinyl Acetate Monomer (Quality Control) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the 30^{th} day of May, 2022.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. **Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.-** Goods or article specified in column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority.- In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. **Penalty for contravention.** - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

5. **Date of effect of amendment in Indian Standards**. – This Order shall apply to any amendment made by the Bureau of Indian Standards to the Indian Standards specified in column (2) of the said Table with effect from the date notified by the Bureau of Indian Standards in this behalf.

| TABLE | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|--|
| Goods or article | Indian Standard | Title for Indian Standard | | |
| (1) | (2) | (3) | | |
| Vinyl Acetate Monomer | IS 12345:1988 | Specification for Vinyl Acetate Monomer | | |

[F. No. 46016/6/2020-Tech.CPC- Pt.1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5406(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, के अधिक्रमण में, उन कामों को छोड़कर जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से कर लिया गया है या करने से छोड़ दिया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना** - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मिथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 है।

- (2) यह आदेश 30 मई, 2022 को प्रवृत्त होगा।
- (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

2. **मानकों की अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी -** उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. **उल्लंघन के लिए शास्ति**- कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त आदेश के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

5. **भारतीय मानकों में संशोधन के प्रभाव की तिथि** - यह आदेश भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इस संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तारीख से उक्त तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट भारतीय मानक में किए गए किसी भी संशोधन पर लागू होगा।

| क्र.सं. | माल या वस्तुएं | भारतीय मानक | भारतीय मानक के लिए नाम |
|---------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | मिथाइल एक्रिलेट | आईएस 14707: 1999 | मिथाइल एक्रिलेट - विनिर्देश |
| 2 | इथाइल एक्रिलेट | आईएस 14708:1999 | इथाइल एक्रिलेट- विनिर्देश |

सारणी

[फा. सं. 46016/6/2020-टेक .सीपीसी -भाग.1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the, 22nd December, 2021

S.O. 5406(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate (Quality Control) Order, 2020, except and respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) This Order may be called the Methyl Acrylate, Ethyl Acrylate, (Quality Control) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the 30^{th} day of May, 2022.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (2) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.- Goods or article specified in column (2) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority.- In respect of the goods or article specified in column (2) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. **Penalty for contravention.** - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

5. **Date of effect of amendment in Indian Standards**. – This Order shall apply to any amendment made by the Bureau of Indian Standards to the Indian Standards specified in column (3) of the said Table with effect from the date notified by the Bureau of Indian Standards in this behalf.

| Serial Number | Goods or article | Indian Standard | Title for Indian Standard |
|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Methyl Acrylate | IS 14707: 1999 | Methyl Acrylate -Specification |
| 2 | Ethyl Acrylate | IS 14708:1999 | Ethyl Acrylate - Specification |

TABLE

[F. No. 46016/6/2020-Tech.CPC-Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.